

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम :- पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0- 21/2021

अनवान :-

1. विमला पत्नी ईशरराम जाति सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।

बनाम्

सायला

1. चौरूलाल पुत्र रामेश्वरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. खजानी पत्नी भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. चंचल देवी पुत्री भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. भजनलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. भागु उर्फ मांगीलाल मृतक जरिये वारिसान
8/1 कृष्णादेवी पत्नी मांगीलाल
8/2 मदनलाल पुत्र मांगीलाल
8/3 सन्तरों देवी फोट जरिये वारिसान
8/3/1 राकेश कुमार पुत्र सन्तरों देवी
8/3/2 निशा पुत्री सन्तरों देवी
8/3/3 माना पुत्री सन्तरों देवी
8/3/4 मुकेश पुत्री सन्तरों देवी
8/4 पान्ना पुत्री मांगीलाल
8/5 महावीर पुत्र मांगीलाल
8/6 किसन पुत्र मांगीलाल फोट जरिये वारिसान
8/6/1 रीतु पुत्री किसन
8/6/2 मोनिका पुत्र किसन
8/6/3 अल्का पुत्री किसन
8/6/4 आईयान पुत्री किसन
8/7 राजु पुत्र मांगीलाल फोट जरिये वारिसान
8/7/1 तमन्ना पुत्री राजु समस्त जाति सैनी निवासीगण चक 25 एनटीआर
तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सोना देवी पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री विजयसिंह कडवासरा अभिभाषक, प्रार्थी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक : 20/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की अराजी जरई खाता
संख्या 145/119 की कुल 2.100हैक् रोही मौजा चक 25 एनटीआर की सायला के कब्जा
काश्त की खातेदार काश्तकार है।



उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अराजी जरई खाता संख्या 46/32 की कुल 7.1350 हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 9 एवं वारिसान के कब्जा काशत की भूमि है।

सायला के खेत का रास्ता सदामत से प0न0 334/427 (14) के किला नम्बर 25 तक मंजुरशुद्धा रास्ता से होकर किला न0 25/2 कि 0.2280 हैक् भूमि में दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत के प0न0 334/427 (14) किला न0 24 में प्रवेश कर जाती है जो पिछले 40 सालों से चालू है यह रास्ता सायला के खेत के लिए नजदीकी व सुविधाजनक है।

सायला उक्त रास्ता से पिछले 40 सालों से आवागमन कर रही है किन्तु गैरसायलान उक्त रास्ता को बन्द करने की घमकी दे रहे हैं पुर्व में भूमि सयूक्त खाते में थी घरू बटवारा करने पर सायला को उक्त भूमि प्राप्त हुई थी सायला को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि के बदले में गैरसायलान को भूमि दी हुई है इस रास्ता के बदले में गैरसायल को 4 बिश्वा भूमि मु0न0 14 के किला न0 24/2 में 0.0510 हैक् ज्यादा की हुई है जो गैरसायलान के कब्जा काशत में चली आ रही है।

सायला जिस रास्ता से अपने खेत में आवागमन कर रही है वह रास्ता मौके पर चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान बन्द करने की घमकी दे रही है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो सायला जो एक छोटा काशतकार है को अपूर्ण्य क्षति होती है एव सायला अपनी भूमि को काशत करने से बंचित हो जावेगी।

सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत शुद्धा रास्ता से आगें जाने के लिये कोई रास्ता है केवल मात्र उक्त रास्ता ही सायला को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपलब्ध यदि गैरसायलान ने इसे बन्द कर दिया जो सायला को अपूर्ण्य क्षति होगी।

सायला ने गैरसायलान को कई मर्तबा कहा की चालु रास्ता जो सायला की भूमि तक आता है जो वर्तमान में चालू है को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427 (14) के किला न0 25/2 की 0.2280 हैक् व किला न0 24/2 की 0.0510 हैक् भूमि में सें दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायलान को रजिस्टर्ड सम्मन /नोटिस से तलब करने के उपरान्त भी गैरसायलान या उनका कोई प्लीडर उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार नोहर से सायला द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल की जाकर बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अराजी जरई खाता संख्या 145/119 की कुल 2.100हैक् रोही मौजा चक 25 एनटीआर की सायला के कब्जा काश्त की खातेदार काश्तकार है।

अराजी जरई खाता संख्या 46/32 की कुल 7.1350हैक् भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 9 एवं वारिसान के कब्जा काश्त की भूमि है।

सायला के खेत का रास्ता सदामत से प0न0 334/427 (14) के किला नम्बर 25 तक मंजुरशुद्धा रास्ता से होकर किला न0 25/2 कि 0.2280हैक् भूमि में दक्षिण किनारे पूर्व से पश्चिम अपने खेत के प0न0 334/427 (14) किला न0 24 में प्रवेश कर जाती है जो पिछले 40 सालों से चालू है यह रास्ता सायला के खेत के लिए नजदीकी व सुविधाजनक है।

सायला उक्त रास्ता से पिछले 40 सालों से आवागमन कर रही है किन्तु गैरसायलान उक्त रास्ता को बन्द करने की घमकी दे रहे है पुर्व में भूमि सयूक्त खाते में थी घरू बटवारा करने पर सायला को उक्त भूमि प्राप्त हुई थी सायला को घरू बटवारा में प्राप्त भूमि के बदले में गैरसायलान को भूमि दी हुई है इस रास्ता के बदले में गैरसायल को 4 बिश्वा भूमि मु0न0 14 के किला न0 24/2 में 0.0510हैक् ज्यादा की हुई है जो गैरसायलान के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

सायला जिस रास्ता से अपने खेत में आवागमन कर रही है वह रास्ता मौके पर चालू है किन्तु राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नही होने के कारण गैरसायलान बन्द करने की घमकी दे रही है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायला जो एक छोटा काश्तकार है को अपूर्णाय क्षति होती है एव सायला अपनी भूमि को काश्त करने से बंचित हो जावेगी।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427 (14) के किला न0 25/2 की 0.2280हैक् व किला न0 24/2 की 0.0510हैक् भूमि मे सें दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पैराकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया की मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है।

हमने सायला /पैरोकार राज की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार

सायला रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 145/119 की कुल 2.100हैक् की खातेदार काश्तकार है तथा गैरसायलान रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 46/32 की कुल 7.1350हैक् भूमि के खातेदार काश्तकार है।

सायला का कथन है कि सायला को उसकी खातेदार भूमि में जाने के लिये रोही मौजा चक 25 एनटीआर के किला न0 24/2 व 25/2 में से रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रस्तुत नजरीय नक्शा के अवलोकन से सायला को स्वीकृत शुद्धा रास्ता से अपनी भूमि तक आने जाने के लिये कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नही है स्वीकृत शुद्धा रास्ता एव

सायला के खेत के मध्य गैरसायलान की खातेदारी भूमि है सायला को उसकी भूमि में पहुंचने के लिये गैरसायलान की भूमि में ही पहुंचा जा सकता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता सायला की भूमि में जाने के लिये नहीं है।


तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार भी सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत शुद्धा रास्ता नहीं है सायला को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता गैरसायला के किला न0 24/2 , 25/2 भूमि में से दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम है यही रास्ता उचित है।

सायला एवं गैरसायलान एक ही परिवार के सदस्य है सायला के कथनानुसार सायला एव गैरसायलान ने आपसी सहमति से घरू बटवारा किया जाकर वाद भूमि का बटवारा किया गया था जिसमें सायला की भूमि में जाने के लिये उक्त रास्ता छोड़ा गया था जिसके बदले में गैरसायलान को 4 बिश्वा भूमि अधिक दी गई थी सायला के कथनों का प्रतिरोध पेश नहीं जाने के कारण सायला का कथन स्वीकार किया जाने योग्य है। प्रस्तुत रिकार्ड से भी वाद भूमि का खाता विभाजन होना प्रतीत होता है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं होने के कारण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427 (14) के किला न0 25/2 की 0.2280हैक् व किला न0 24/2 की 0.0510हैक् भूमि में से दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक २०/५/२५ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र सं० 21 सन 2021 निर्णय दिनांक

अनवान :-

1. विमला पत्नी ईशरराम जाति सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।

सायला

बनाम्

1. चोरूलाल पुत्र रामेश्वरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. खजानी पत्नी भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. चंचल देवी पुत्री भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. देवीलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. पवन कुमार पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. भजनलाल पुत्र भंवरलाल सैनी साकिन चक 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. भागु उर्फ मांगीलाल मृतक जरिये वारिसान
8/1 कृष्णादेवी पत्नी मांगीलाल
8/2 मदनलाल पुत्र मांगीलाल
8/3 सन्तरों देवी फोट जरिये वारिसान
8/3/1 राकेश कुमार पुत्र सन्तरों देवी
8/3/2 निशा पुत्री सन्तरों देवी
8/3/3 माना पुत्री सन्तरों देवी
8/3/4 मुकेश पुत्री सन्तरों देवी
8/4 पान्ना पुत्री मांगीलाल
8/5 महावीर पुत्र मांगीलाल
8/6 किसन पुत्र मांगीलाल फोट जरिये वारिसान
8/6/1 रीतु पुत्री किसन
8/6/2 मोनिका पुत्र किसन
8/6/3 अल्का पुत्री किसन
8/6/4 आईयान पुत्री किसन
8/7 राजु पुत्र मांगीलाल फोट जरिये वारिसान
8/7/1 तमन्ना पुत्री राजु समस्त जाति सैनी निवासीगण चक 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. सोना देवी पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी चक 25 एनटीआर तहसील नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

—गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 21/2021 अनवानी विमला बनाम चोरूलाल में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प०न० 334/427 (14) के किला न० 25/2 की 0.2280हैक् व किला न० 24/2 की 0.0510हैक् भूमि में से दक्षिणी किनारे से पूर्व से पश्चिम 2 बिश्वा यानी 2 गढढा रास्ता स्वीकृत किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर